राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः सीआरओ/राआम/2015-16/48/142 दिनांक : 16/11/2016

परिपत्र

कतिपय प्रकरण में यह देखने में आया है कि सम्पत्तियों की नीलामी में बोलीदाताओं का रूझान कम प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण एकल निविदायें अधिक प्राप्त हो रही है तथा प्राप्त दरें प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होती है। इसलिए नीलामी के प्रचार-प्रसार पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः सम्पत्तियों की नीलामी से पूर्व निम्नानुसार आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है :-

1. **वर्ष 2016-17 के लिए न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के निर्धारण में मण्डल द्वारा विभिन्न खर्चो, विक्रय क्षेत्रफल एवं सेक्टर में भूखण्ड की स्थिति एवं पूर्व में विक्रित समकक्ष भूखण्ड इत्यादि की स्थिति ध्यान में रखा जावें तथा प्रस्तुत प्रस्तावों पर आवासीय अभियन्ता एवं उप आवासन आयुक्त द्वारा उक्त उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर किये जावे।**
2. **नीलामी के प्रचार-प्रसार मण्डल द्वारा जारी संबंधित आदेशों के तहत किया जावें। साथ ही यदि संबंधित सन्पत्ति/परियोजना बाबत पूर्व में की गयी नीलामी में जिन बोलीदाताओं द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है, उनके नाम, पते तथा मोईबल नं. अलग से रजिस्टर में संधारित कर उन सभी को भी उस सम्पत्ति/परियोजना बाबत भविष्य में होने वाले नीलामी विज्ञापनों की सूचना अवश्य स्पीड पोस्ट/एस.एम.एस. द्वारा पहुंचाई जावें, जिससे कि नीलामी में अधिक से अधिक बोलीदाता भाग ले सकें।**

संबंधित आवासीय अभियन्ता एवं उप आवासन आयुक्त उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, राआम, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय, तृतीय रा.आ.म., जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त.................................. (समस्त)
7. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) राआम, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड .... (समस्त)
9. रक्षित पत्रावली ।

मुख्य राजस्व अधिकारी